



अंचल अधिकारी का कार्यालय, पूर्वी टुण्डी।

वाद संख्या- 418/2016-17

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
<p>19.8.20 14.2.22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है। रैयत उपस्थित है, उनके द्वारा निम्न कागजात प्रस्तुत किया है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हुकुमनामा रजिस्टर डीड X 2. लगान रसिद X 3. शुद्धि पत्र X 4. खतियान X <p>रैयत द्वारा उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया जिससे निम्न निष्कर्ष निकलता है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इनके द्वारा कोई भी रजिस्टर कागजात उपलब्ध नहीं है। 2. भूमि शोधक मालिक है। 3. जमाबंदी रजिस्टर का कोई कागजात नहीं है। <p>अतः उपयुक्त जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p align="center">अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p align="right">  अंचल अधिकारी पूर्वी टुण्डी। </p> <p align="left">  लेखापित एवं संशोधित। </p>	